न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सुपौल।
जिला–सुपौल (बिहार)
जमानत आवेदन संख्या–417/2026
प्रतापगंज थाना कांड संख्या–09/2026, जिला–सुपौल।

---

1. नीरज मेहता, उम्र करीब–22 वर्ष, पिता–श्री प्रसाद मेहता, साकिन–जयनगरा, वार्ड नं0–9, थाना–प्रतापगंज, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्त।

बनाम्

बिहार राज्य।

उपस्थितः
याचिकाकर्त्ता की ओर से– मो0 अबू बकर (विद्वान अधिवक्ता)
विपक्षी की ओर से– श्री राजेश कुमार सिंह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

02.07.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त नीरज मेहता की तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक अभियुक्त प्रतापगंज थाना कांड संख्या–09/2026 अंतर्गत धारा–**126(2), 115(2), 109, 303(2), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–**25(1-B)(a), 26, 35, 37** शस्त्र अधिनियम में दिनांक 14.05.2026 से काराधीन हैं। आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन वाद संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 13.01.2026 को सूचक मो0 दिलशेर इटवा में अपना किराना का सामान बेचकर अपने मोटरसाईकिल से वापस अपने घर जा रहा था, जाने के क्रम में दिन के करीब 1 बजे जैसे ही जयगनरा वार्ड नं0–9 स्थित पानी टंकी के पास पहुंचा कि उसी क्रम में एक बुलेट मोटरसाईकिल पर सवार तीन युवक उनके मोटरसाईकिल के पास आ गये और उन्हें बन्दूक दिखाकर बोलने लगे कि गाड़ी रोको, वह डर के मारे अपना गाड़ी रोक दिया, जिसके बाद बुलेट मोटरसाईकिल पर से दो युवक उनके पास आया और उनमें से एक युवक उन्हें बन्दूक दिखाते हुये उनसे बोलने लगा कि अपना सारा रूपया पैसा निकालो, जब वह इस बात का विरोध करने लगे तो उनमें से एक युवक बन्दूक के बट से उनके सर पर जोर से मारा जिसके लगते ही वह जख्मी हो गये और जोर–जोर से चिल्लाने लगे, इतने में उक्त दोनों युवक उनके पॉकेट में रखे करीब 40 हजार रुपये निकाल लिये, जब वह और जोर–जोर से चिल्लाने लगे तो आस–पास के ग्रामीण तथा उनके परिजन लोग दौड़कर आने लगे। ग्रामीणों के आते देख उक्त तीनों युवक भागने का प्रयास करने लगे जिनमें से एक युवक को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा दो युवक मोटरसाईकिल के साथ भागने में सफल रहा। पकड़ाये युवक से नाम एवं पता पूछने पर

अपना नाम बसंत कुमार तथा भागने वाले युवकों के बारे में पूछने पर उसका नाम नीरज मेहता एवं नीतिश कुमार बताये। पकड़ाये व्यक्ति का तलाशी लिया तो तलाशी के क्रम में इनके पॉकेट से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। इतने में प्रतापगंज थाना की पुलिस आई, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उक्त युवक को पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया गया तथा उनके परिजनों के द्वारा उन्हें एवं उसके पास से बरामद देशी कट्टा को लेकर ईलाज हेतु पी0एच0सी0, प्रतापगंज ले गये। ईलाज उपरांत सूचक अपने परिजनों के साथ थाना आकर इस संबंध में अपना एक लिखित आवेदन तथा उक्त देशी कट्टा को प्रतापगंज पुलिस को अग्रिम कार्रवाई करने हेतु सौंप दिया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व कोई दूसरा जमानत आवेदन पत्र न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास राघोपुर थाना काण्ड संख्या–359/2021, प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या–162/2021, सिमराही थाना काण्ड संख्या–70/2026 एवं म0नि0 थाना सिमराही काण्ड संख्या–70/2026 दर्ज है, जिसमें सभी मुकदमा में न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, लेकिन म0नि0 थाना सिमराही काण्ड संख्या–70/2026 में बंध–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त बसंत कुमार ने कहा है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इसलिए धारा–**109, 303(2)** भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–**25(1-B)(a), 26, 35, 37** शस्त्र अधिनियम आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है तथा वे न्यायालय द्वारा संतुष्टिपरक बंध–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्त अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक मो0 दिलशेर को बन्दूक के बट से सर पर हमला कर जख्मी कर दिये तथा उनके पॉकेट से 40 हजार रुपया निकालकर भागने लगे तथा भागने के क्रम में सह अभियुक्त बसंत कुमार पकड़ लिया गया तथा पकड़ाये अभियुक्त के पास एक देशी कट्टा बरामद हुआ तथा आवेदक अभियुक्त भागने में सफल रहे। आवेदक अभियुक्त के उपर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण बसंत कुमार एवं नितीश कुमार के द्वारा सूचक मो0 दिलशेर को बन्दूक के बट से सर पर मारकर जख्मी कर दिये तथा उनके पॉकेट से 40 हजार रुपया निकाल लेने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में जप्त सामान की प्रस्तुति सह जप्तीसूची का उल्लेख है। कंडिका–3 में वादी मो0 दिलशेर का पुनःबयान है, इन्होंने अपने बयान में घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन किये हैं। कंडिका–4 एवं 5 में क्रमशः साक्षीगण मो0 कैसर और मो0 फिरोज का बयान है, सभी ने प्राथमिकी घटना का समर्थन किया

है। कंडिका–24 में एफ0एस0एल0 टीम द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण उपरांत दिये गये जांच रिपोर्ट का उल्लेख है। कंडिका–31 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक मामले राघोपुर थाना काण्ड संख्या–359/2021, प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या–162/2021 दर्ज है, जबकि उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में सिमराही थाना काण्ड संख्या–70/2026 एवं म0नि0 थाना सिमराही काण्ड संख्या–70/2026 दर्ज होना बतलाया गया है। कंडिका–40 में हथियार जांच रिपोर्ट प्राप्त है, जिसमें जांचोपरांत जप्त प्रदर्श एक देशी निर्मित कट्टा आग्नेयास्त्र कारगर है, उक्त आग्नेयास्त्र से जिंदा गोली फायर होने पर जान–माल की क्षति हो सकती है। कंडिका–56 में जख्मी सह सूचक मो0 दिलशेर का जख्म जांच रिपोर्ट का उल्लेख है। कंडिका–61 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण बसंत कुमार एवं नितीश कुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय सुपौल को भेजा गया है। कंडिका–64 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सह अभियुक्त बसंत कुमार के विरुद्ध धारा–**25(1-b)a, 26, 35, 37** शस्त्र अधिनियम एवं धारा–**126(2), 115(2), 109, 303(2), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण बसंत कुमार एवं नितीश कुमार के द्वारा सूचक मो0 दिलशेर को बन्दूक के बट से सर पर मारकर जख्मी कर दिये तथा उनके पॉकेट से 40 हजार रुपया निकालने का आरोप है, इसी दौरान सह अभियुक्त बसंत कुमार को भागने के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ाये व्यक्ति ने भागे जाने वाले व्यक्ति में आवेदक अभियुक्त का भी नाम लिया। आवेदक अभियुक्त का वाद अभी अनुसंधानन्तर्गत है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सह अभियुक्त बसंत कुमार का नियमित जमानत आवेदन संख्या–106/2026 खारिज किया जा चुका है। चूँकि आवेदक अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

-Sd-

अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सुपौल।